जनसंघ

एक मात्र विकल्प

चुनाव घोषणा-पत्र १९७२

जनसंघ : एकमात्र विकल्प

□

चुनाव घोषणा-पत्र, १९७२

□

भारतीय जनसंघ
केन्द्रीय कार्यालय
विट्ठलभाई पटेल भवन
रफी मार्ग, नयी दिल्ली-१

जनसंघ : एक मात्र विकल्प

स्वतन्त्रता के बाद पहली बार अधिकांश राज्य विधानसभाओं के चुनाव संसद के चुनावों से पृथक हो रहे हैं। पहली बार मतदाता को यह अवसर मिला है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग, मुख्य रूप से, प्रदेश स्तर की उन समस्याओं को सामने रख कर करे, जो जन-जीवन के अधिक निकट हैं और जिनसे उसका सीधा सम्बन्ध है। अतः यही अवसर है जब जनता स्वयं निर्णय करे कि सत्तारूढ़ दल ने अपने वायदे पूरे किये अथवा नहीं।

सत्तारूढ़ कांग्रेस विजय और स्थायित्व के नाम पर वोट मांग रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि दो में से किसी भी एक मुद्दे पर वह वोट पाने की हकदार नहीं। हाल में ही हमारी जो जीत हुई वह गौरवपूर्ण राष्ट्रीय विजय थी, जो हमारी बहादुर सेनाओं के कारण सम्भव हुई। वास्तविकता तो यह है कि नयी कांग्रेस ने यदि जनसंघ की बात मानकर ग्रीष्म ऋतु के आरम्भ में ही बंगला देश को मान्यता दे दी होती तो बंगला देश में जाति-नाश को रोकने के साथ-साथ पाकिस्तानी सेना को उसके अभाव और तैयारी से पूर्व ही पराजित किया जा सकता था। पाकिस्तान से मुक्त कराये गये क्षेत्रों, हर्जाने की वसूली और युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकारी रवैये की अनिश्चितता को देखते हुए यह आशंका अब तक बनी हुई है कि चुनावों के बाद कांग्रेस देश को फिर धोखा देगी।

कांग्रेस के दावे

जहां तक स्थायित्व के सम्बन्ध में कांग्रेसी दावे का ताल्लुक है, इस तथ्य को भुलाया नहीं जा सकता कि चौथे आम चुनाव के बाद के डेढ़ वर्ष की अवधि को छोड़कर पच्चीस वर्ष की शेष अवधि में कांग्रेस को न केवल संसद में वरन् समस्त प्रदेशों के विधान-मंडलों में पूर्ण बहुमत प्राप्त था, परन्तु इसके बावजूद वास्तविक स्थायित्व स्वप्न ही बना रहा।

सच तो यह है कि पार्टी में फूट और अलगाव के बाद कांग्रेस की राजनीति का समूचा स्वरूप ऐसा रहा कि भारतीय राजनीति में उससे गंभीर अस्थिरता आयी। शासक दल ने दल-बदल को एक व्यापक व्यवसाय बना

दिया । प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकारों को इस मजे से गिराती रहीं कि समूचा तमाशा कठपुतलियों का नाच जैसा प्रतीत हुआ । पार्टी के तात्कालिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए राज्यपाल के ऊंचे पद का भी दुरुपयोग किया जाता रहा है । इस प्रक्रिया में संविधान निष्प्राण हो गया है, प्रादेशिक स्वायत्तता एक मजाक बन गयी है और देश एक-दलीय तानाशाही के रास्ते पर धकेला जा रहा है । हमारी लोकतंत्री स्वतन्त्रता के रक्षक समाचार-पत्र और न्यायपालिका हैं । लेकिन 'प्रतिबद्धता' के नाम पर इन दोनों महान संस्थाओं की स्वतंत्रता को पंगु बनाने के प्रयत्न प्रारम्भ हो गए हैं ।

इस तथ्य को भलीभांति समझ लिया जाना चाहिए कि स्थायित्व स्वयं साध्य नहीं है । ऐसा स्थायित्व जो तेजी से आर्थिक विकास करने और सामाजिक न्याय दिलाने में सहायक नहीं होता, दुर्गन्धपूर्ण गतिरोध का ही कारण बनता है । १९४७ से १९६७ तक के बीस वर्ष में कांग्रेस ने अपने विशाल बहुमत के बावजूद मुख्यतः भ्रष्टाचार, बर्बादी, बेरोजगारी और अपने आंतरिक झगड़ों के शर्मनाक प्रदर्शन ही देश को दिये हैं । तेजी से तरक्की के संदर्भ में ही स्थायित्व की सार्थकता है और यह तभी संभव है जब सत्ता ऐसे दल के हाथों में हो जो आत्मत्यागी व अनुशासनबद्ध हो तथा संकल्प एवं उद्देश्य के बारे में स्पष्ट हो । ये ऐसे गुण हैं जो कांग्रेस के लिए सर्वथा विजातीय हैं । कांग्रेस की तुलना में जनसंघ ने, जो इन सब गुणों से ओतप्रोत है, दिल्ली में शानदार परिणाम दिखाये हैं । समय आ गया है कि देश कांग्रेसजनों को अपदस्थ कर दे ताकि वे फुरसत से और अपने ही नफा-नुकसान से, आपसी झगड़े सुलझा सकें और उनके स्थान पर जनता जनसंघ को अपनी सेवा करने का मौका दे ।

कांग्रेस का रिकार्ड, चाहे किसी भी दृष्टि या पहलू से देखा जाय, असहनीय है । प्रत्येक आम चुनाव से पूर्व शासक दल ने कोई न कोई एक आकर्षक और नया नारा खोज निकाला । १९५२ में लोककल्याणकारी राज का नारा लगाया था तो १९५७ में समाजवादी ढांचे के समाज का; १९६२ में सहकारी समाज (कोआपरेटिव कामन वेल्थ) का नारा, तो १९६७ में समाजवाद का और १९७१ में गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया । लेकिन समय बीतने के साथ-साथ जनता की स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती ही गई ।

बेरोजगारी

जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ हुई तब देश में बेरोजगारों की संख्या ३३ लाख थी । आज, २० साल बाद, बेरोजगारों की संख्या १ करोड़ २० लाख से भी अधिक है । संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकार ने स्वयं

स्वीकार किया है कि १९७१ के आरम्भ में देश में ७५ हजार वैज्ञानिक और ६४ हजार ७०० इंजीनियर तथा तकनीकी (टैक्नालाजिस्ट) बे-रोजगार थे । साथ ही १५९७ डाक्टर और ४५० विमान चालक भी बेरोजगार थे ।

कीमतें

पिछले दस वर्ष में खुदरा मूल्यों में प्रतिवर्ष औसतन ११ प्रतिशत की वृद्धि हुई । पिछले केवल एक वर्ष में दालों के थोक भाव के सूचकांक में १८, चीनी के मूल्यों में ३८, अंडे और मछली के मूल्यों में १६, मसालों के मूल्यों में १३.६ और दूध के थोक मूल्य के सूचक अंकों में ११ अंकों की वृद्धि हुई । कारण यह है कि जब उत्पादन में ४ से ५ प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, मुद्रा पूर्ति में इसकी दूनी गति से भी अधिक की वृद्धि हो रही है । अकेले १९७०-७१ में २६५ करोड़ रुपये के 'घाटे की वित्त-व्यवस्था' की गई ।

हानियां

राष्ट्रीयकरण के नाम पर सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में ५०० करोड़ रुपये से अधिक का घाटा उठाया गया । अकेले हिन्दुस्तान स्टील लि० में १७८ करोड़ रुपए का घाटा हुआ । यह रकम इतनी है कि इससे मध्यम श्रेणी का एक नया इस्पात कारखाना लगाया जा सकता है । भोपाल स्थित हैवी इलैक्ट्रिकल्स का घाटा ७७ करोड़ रुपए तक पहुंच गया है । मशीनरी और एलाइड माइनिंग निगम की स्थापना २० करोड़ रुपये की पूंजी से की गई और यह निगम अपनी लागत की पूरी पूंजी ही घाटे में गंवा चुका है ।

कृषि क्रांति के बावजूद हम १९७१-७२ तक पी० एल०-४८० के अधीन गेहूं का आयात करते रहे । रुई और तिलहनों की कमी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और हालत बिगड़ती रही है । खाद्य-तेलों, दालों, दूध और कपड़े की प्रति व्यक्ति औसत-खपत में वर्ष-प्रति-वर्ष कमी होती जा रही है ।

लाइसेंस

सन् १९६०-६१ को आधार मानकर स्थिर मूल्यों के हिसाब से १९६९-७० में औसत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन का सूचकांक ११०.८ था, इसका अर्थ यह है कि उत्पादन में वार्षिक वृद्धि औसत से एक प्रतिशत रही जो दुनिया भर में सबसे कम है । लेकिन इन वर्षों में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए दी गई हजारों अर्जियों को सरकार दबाये बैठी रही । १९७० में कुल १८०० अर्जियों में से सिर्फ ३२४ मंजूर की गयीं । १९७१ में कुल २९०० अर्जियों में से ४६५ मंजूर की गईं ।

सरकार बात तो बड़े जोर से कहती है कि बिना विदेशी मदद के काम चलायेगी, परन्तु चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में ४६४ करोड़ रुपए के बराबर अतिरिक्त विदेशी मदद की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। भारत पर विदेशी ऋण की राशि ७००० करोड़ रुपये से भी आगे बढ़ चुकी है। सरकार रुपये का एक बार फिर अवमूल्यन करने पर विचार कर रही है। ऐसा होने पर कर्ज का बोझ और बढ़ जाएगा। यह हमारी उस आर्थिक दुर्दशा का चित्र है जो शासक दल ने दिया है।

संवैधानिक निदेशक सिद्धांतों की अवहेलना

इधर हाल में सरकार ने एक नयी खोज यह की कि मौलिक अधिकारों का इतना महत्व नहीं है; उनमें संशोधन द्वारा कटौती की जा सकती है और राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत ही विशेष महत्व के हैं। लेकिन, सचाई यह है कि सब महत्वपूर्ण निदेशक सिद्धांतों की घोर उपेक्षा हुई है। उदाहरणस्वरूप, एक निदेशक सिद्धांत यह है कि १९६० तक १४ वर्ष तक की उम्र के प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायगी; लेकिन १२ वर्ष बाद आज १९७२ में भी, ११-१४ वर्ष वर्ग के केवल ३५ प्रतिशत बच्चे ही पाठशाला जाते हैं। एक अन्य निदेशक सिद्धांत में भारत के पशु-धन के संरक्षण और सुधार की व्यवस्था है। लेकिन प्रतिवर्ष लाखों गायें कटती हैं जिसका नतीजा यह हुआ है कि पिछले १३ वर्ष में दूध की खपत में प्रति व्यक्ति ३.३ प्रतिशत की कमी आती गई है। एक तीसरा निदेशक सिद्धांत यह है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान विधि-संहिता होगी। लेकिन ऐसी विधि संहिता आज तक नजर नहीं आयी। चौथा महत्वपूर्ण निदेशक सिद्धांत नशाबन्दी के बारे में है, जिसको हवा में उड़ा दिया गया।

भारतीय जनसंघ—एकमात्र विकल्प

इस प्रकार कांग्रेस का रिकार्ड एक ऐसी कहानी है जिसमें लम्बे-चौड़े वायदे तो हैं किन्तु उपलब्धियां नगण्य हैं। योजनाएं लुभावनी हैं किन्तु उनकी क्रियान्विति असन्तोषजनक है, नारे गगनभेदी हैं मगर कार्य खोखले हैं। पार्टी सिर्फ इसलिए बच निकली क्योंकि वह भूर बहुमत में थी। अपनी विकरालता के आधार पर कांग्रेस यह मानकर चली कि वह जो चाहे करे, जनता उसे चुप स्वीकार करेगी। इस लम्बी अवधि में अधिकांश विधानसभाओं में मान्यता प्राप्त प्रतिपक्षी दल भी नहीं था। अंकुश और संतुलन के अभाव में ही सरकार जनता की इच्छाओं तथा आकांक्षाओं को कुचलती और उनके वास्तविक हितों की बेफिक्री के साथ उपेक्षा करती रही।

राजनीतिक ध्रुवीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें अखिल भारतीय स्तर पर अकेला जनसंघ एकमात्र विकल्प के रूप में उभरकर आया है। यह न केवल शक्तिशाली प्रतिपक्ष की भूमिका निभा सकता है बल्कि सुदृढ़ प्रशासन देने में भी समर्थ है।

कार्यक्रम

दल के आम घोषणा पत्र के अनुसार, जिसकी रूपरेखा 'सिद्धान्त और नीतियां' शीर्षक अभिलेख में प्रस्तुत है, जनसंघ बड़े ही स्पष्ट शब्दों में अपने इस संकल्प को दोहराता है कि वह :

किसानों के लिए

भूमि सुधार कानूनों यथा जोत की सीमा निश्चित करने से सम्बद्ध कानूनों को दृढ़ता से लागू करेगा;

योजना की विभिन्न मदों के लिए निर्धारित की जाने वाली राशियों में कृषि को प्राथमिकता देगा;

छोटी सिंचाई योजनाओं का व्यापक रूप से विकास करेगा, नलकूपों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि करेगा और बिजली से चलने वाले पम्पों के लिए सस्ती दर पर बिजली की व्यवस्था करेगा;

सिंचाई दर में कमी करेगा और पांच वर्ष के भीतर प्रत्येक गांव को मुख्य सड़क से जोड़ देगा;

कृषि के लिए खाद, बीज आदि की पूर्ति की स्थाई व्यवस्था करेगा। सेवा सहकारिताओं के माध्यम से कीमती मशीनें सस्ते किराये पर दिये जाने का प्रबन्ध करेगा और ट्रैक्टरों के रख-रखाव की उचित व्यवस्था करेगा;

मालगुजारी में कमी करके उसे नये आधार पर निश्चित करेगा; बटाईदारों के हितों की सुरक्षा और उनके वाजिब हिस्से की व्यवस्था करेगा; पशु और फसल के बीमे की व्यवस्था करेगा, तथा अच्छी नस्ल के पशु तैयार करने को बढ़ावा देगा;

संविधान के ४८वें अनुच्छेद में वर्णित निदेशक सिद्धान्त को लागू करके गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगायेगा। गायों की खरीद के लिए ऋण और अनुदान देगा और धवल-क्रांति लाने के लिए दुग्धशाला उद्योग को विकसित करेगा तथा पांच साल में देश में दूध का उत्पादन दुगना कर देगा;

ऐसे उपयुक्त कदम उठायेगा जिससे किसान का, खासकर उस किसान का

जो फल, शाक, सब्जी आदि ऐसी फसलें उगाते हैं जो जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं, बिचौलिये शोषण न कर सकें, ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे किसानों को ढुलाई और भंडारण की पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त हों और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलायेगा; और

कृषि उत्पादनों और निर्मित माल के मूल्यों में तालमेल रखेगा और अलाभकर जोतों के किसानों को पंचवर्षीय ब्याज-मुक्त ऋणों की व्यवस्था करेगा ताकि उनकी जोत लाभकर हो सकें और देश के सभी किसानों के लिए सस्ती ब्याज-दर पर पर्याप्त ऋण की व्यवस्था करेगा जिससे छोटे किसान के खेत में भी कृषि-क्रांति हो सके।

खेतिहर मजदूरों के लिए

फालतू और सेनी योग्य पड़ती जमीन को, एक वर्ष के भीतर भूमि-हीनों और अलाभकर जोत वाले किसानों, खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, तथा भूतपूर्व सैनिकों आदि में बांटेगा; और

कानून बनाकर उनके लिए न्यूनतम वेतन तथा अतिरिक्त उपज में हिस्से की व्यवस्था करेगा।

दस्तकारों के लिए

उत्पादन की नई तकनीक को बढ़ावा देगा, हाट सहकारिताओं का विकास करेगा और सस्ते मूल्य पर सुधरे किस्म के औजार खरीदने के लिए अनुदान देगा।

गांवों के लिए

गांवों में सार्वजनिक निर्माण और आवास का विशाल कार्यक्रम शुरू करेगा जिससे भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सके;

तीन साल के भीतर प्रत्येक गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करेगा; और

उत्पादन के विकेन्द्रीकरण के अनुकूल भारतीय तकनीक (टैक्नालाजी) का विकास करेगा, तथा साथ ही कृषि पर आधारित तथा अन्य लघु उद्योगों का ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से विकास करेगा।

अनुसूचित जनजातियों के लिए

इस समय कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त सुविधाओं को समूचे देश में विस्तृत करेगा;

वनों में और वनों के समीप उपलब्ध खेती के योग्य सब फालतू पड़ती जमीन को उनमें बांटेगा और अब तक विस्थापित हुए व्यक्तियों को बसायेगा;

वनों की छोटी-मोटी उपज को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करेगा और सरकारी तथा निजी वन-प्रदेशों में उनके परम्परागत अधिकारों को फिर से स्थापित कर उनकी रक्षा करेगा;

वन सेवाओं में उनको प्राथमिकता देगा और न्यूनतम वेतन कानून के अन्तर्गत उन्हें संरक्षण देगा;

वनों पर आधारित उद्योगों और श्रम-सहकारिताओं का विकास करेगा;

कर्ज से राहत दिलाने के नियमों को मुस्तैदी से लागू करेगा; और

उन्हें समाज की मूलधारा के साथ धीरे-धीरे एकरस करने के लिए सभी उपयुक्त कदम उठायेगा।

अनुसूचित जातियों के लिए

छुआछूत के विरुद्ध कठोर कानून बनायेगा, और उन्हें सख्ती से लागू करेगा;

दो साल के भीतर ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करेगा जिससे सर पर मैला ढोने का तरीका खत्म किया जा सके;

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये, सेवाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात से, स्थान सुरक्षित कर, इस व्यवस्था को ईमानदारी के साथ लागू करने के उद्देश्य से विभाग तथा स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन करेगा;

उनके लाभ के लिये अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्षाएं, नवीकरण पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स) और सेवा के दौरान प्रशिक्षण कक्षाएं आरम्भ करेगा;

छोटे और लघु उद्योगों के लिए निर्धारित साधनों में से उनकी जनसंख्या के अनुपात से स्थान निकाल कर उन्हें ऐसे उद्योगों में लगायेगा जिनसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों को रोजगार मिल सके और समय-समय पर उनकी प्रगति का जायजा लेगा; तथा

उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों के संरक्षण एवं विकास के लिए संविधान के निदेशक सिद्धान्तों का—भाव एवं भाषा दोनों ही दृष्टियों से—क्रियान्वयन करेगा।

विकलांगों और बाधितों के लिए

विकलांगों और बाधितों को व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार देने के

लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक नीति का निर्धारण एवं संस्थागत ढांचे का निर्माण करेगा;

उपयुक्त औजार तथा कच्चा माल देकर उनकी मदद करेगा जिससे वे स्वयं अपना रोजगार आरम्भ कर सकें; और

सभी अपाहिजों एवं निराश्रितों की देखभाल की राजकीय व्यवस्था करेगा।

बच्चों के लिये

१४ वर्ष तक की उम्र के सब बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा तथा पौष्टिक आहार की व्यवस्था करेगा;

मुख्यतः असंगठित उद्योगों में बाल-श्रमिकों की सेवा-शर्तों को नियमित करेगा और उनके कल्याण के लिए बाल कानून लागू करेगा; और

संयुक्त राष्ट्रसंघ के बाल अधिकार घोषणा-पत्र के दस बुनियादी सिद्धांतों को स्वीकार कर उनके पालन करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगा।

महिला श्रमिकों के लिये

उपयुक्त व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार की इस तरह व्यवस्था करेगा कि पुरुषों और महिलाओं के बीच की प्रतिद्वन्द्विता को कम किया जा सके;

समान काम के लिये समान वेतन की व्यवस्था करेगा;

महिला श्रमिकों से सम्बद्ध सब कानूनी व्यवस्थाओं को लागू करेगा और उनके श्रम के घन्टों में आवश्यक तालमेल बैठायेगा; और

श्रमजीवी महिलाओं के लिये विशेष आवासों की व्यवस्था करेगा, उनको परिवहन सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करेगा तथा उनके बच्चों की देखभाल का प्रबन्ध करेगा।

असंरक्षित मेहनतकशों के लिये

मछुओं, नमक बनाने वाले मजदूरों, धोबियों, कुलियों, नाइयों, और उनके साथ ही बाजारों या दुकानों, गोदियों, रेलवे यार्डों, मालगोदामों, गोदामों में सरकारी गाड़ियों पर माल लादने-तौलने आदि या दैनिकी पर काम करने वाले मजदूरों या ऐसे ही अन्य छोटे-मोटे काम करके गुजर बसर करने वाले असंरक्षित मेहनतकशों के लिये, राज्यों में विशेष कानून बनाएगा और प्रत्येक राज्य में उनकी समस्याओं पर विचार एवं उनके हितों की रक्षा करने के लिए परिषदें गठित करेगा; और

शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं, घरेलू कर्मचारियों, अस्पतालों, सहकारिताओं, निर्माण-कार्यों, छोटे और मौसमी उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों, रिक्शावालों, स्कूटर और टैक्सी चालकों, बुनकरों, वकीलों की फर्मों, भूतपूर्व देशी नरेशों के नौकरों आदि के हितों की रक्षा के लिये विशेष औद्योगिक विवाद कानून बनाएगा।

पेंशनभोगियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए

भूतपूर्व सैनिकों की भलाई के लिये बनाये गये विभिन्न कानूनों और कानूनी संरक्षणों को दृढ़ता से लागू करेगा;

सब प्रकार की पेंशनों की राशि में वृद्धि करेगा और उन्हें जीवन-निर्वाह व्यय के सूचकांकों से सम्बद्ध करेगा;

श्रमिक कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त संरक्षण को पेंशनभोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके संगठनों पर लागू करेगा; तथा

विभिन्न सेवाओं में पेंशन समितियों का गठन करेगा जिससे उनकी मांगों और उनकी कठिनाइयों को तेजी से हल किया जा सके।

शहरी निराश्रितों के लिये

निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों को तेज करेगा, सब प्रकार के दस्तकारों मजदूरों के लिये रोजगार की विशाल संभावनाओं का निर्माण करेगा;

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निश्चित करेगा तथा मकानों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण करेगा।

आवास

आवास व निर्माण समितियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देगा;

इस कार्य के लिये सस्ती ब्याज-दर पर दीर्घकालिक ऋण देने वाले एक केन्द्रीय आवास प्राधिकरण की स्थापना करेगा; और

गन्दी बस्तियों का सुधार, उनकी सफाई और मकानों-फ्लैटों का निर्माण तथा हायर परचेज आधार पर उनका आवंटन करेगा।

आम वेतन-भोगियों के लिए

वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था किए बिना छंटनी पर प्रतिबन्ध लगायेगा;

भर्ती, तरक्की, तबादले और सेवानिवृत्ति के मामलों में उपयुक्त एवं तर्क-

संगत नीतियां अपनायेगा और देश की सुरक्षा का प्रबन्ध करेगा;

आवश्यकतानुसार न्यूनतम वेतन, वास्तविक वेतन की रक्षा और न्यूनतम ८.३३ प्रतिशत बोनस की गारंटी करेगा,

संगठित सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगा जिसमें बेरोजगारी का बीमा, निःशुल्क चिकित्सा, सेवा निवृत्ति सुविधाएं और श्रम-कल्याण (जिसमें श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा देना भी शामिल होगा) की परियोजनाएं शामिल होंगी;

औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था में सुधार करेगा जिससे न्याय आसानी से और मामूली खर्च से सुलभ हो सके;

उद्योगों के प्रबन्ध एवं स्वामित्व में श्रमिकों की साझेदारी का निर्माण करेगा; और

पुलिस कर्मचारियों तथा औद्योगिक सुरक्षा दल के सदस्यों की शिकायतें दूर करने के लिए विशेष व्यवस्था करेगा।

उपभोक्ताओं के लिए

घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी करके राज्यों के ओवर ड्राफ्ट (खाते में जमा राशि से अधिक रकम निकालने) में कमी करके और सरकारी खर्च में अपव्यय को खत्म करके मूल्यों के स्तर को नियमित करेगा; मूल्य स्थिरीकरण मंडल की स्थापना करेगा; जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वालों को कड़ा दंड देगा और उचित दर की दुकानें खोलेगा; तथा

शहरों में गरीब वर्गों को सस्ते भाव पर अनाज एवं खाद्य पदार्थ बेचने वाली दुकानें एवं कैंटीनें खोलने के लिए सरकारी सहायता देगा।

उद्योगपतियों के लिए

जिन छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को शुरू करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता न हो उनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करेगा तथा सब प्रकार के एकाधिकार से मुक्त, स्वतन्त्र और विकेन्द्रीकृत अर्थतंत्र के निर्माण के उद्देश्य से विशाल पैमाने पर उद्योगों की शुरूआत के लिए अन्य आवश्यक कदम उठायेगा।

करदाताओं के लिए

कर कानूनों को आसान और कर ढांचे को युक्तियुक्त बनायेगा जिससे करों की चोरी बन्द हो सके;

बिक्री कर समाप्त करके उसके स्थान पर उत्पादन शुल्क लागू करेगा, इस शुल्क की वसूली केन्द्र करेगा और एक स्थायी वित्त आयोग के माध्यम से राज्यों में इसका इस प्रकार से आवंटन करेगा कि राज्यों के राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े;

जिन करों की वसूली पर उनसे होने वाली आय से अधिक खर्च करना पड़ता है, यथा व्यवसाय कर, साइकिल कर आदि, को समाप्त करेगा और

कराधान व्यवस्था का उपयोग इस तरह करेगा कि आय वर्गों का अंतर कम हो और ऐसी कोशिश करेगा जिससे न्यूनतम और अधिकतम व्ययशील आय का अनुपात धीरे-धीरे घटकर १ और २० का हो जाय।

अध्यापकों और छात्रों के लिए

शिक्षा प्रणाली के ढांचे में सुधार तथा उसका आधुनिकीकरण और भारतीयकरण करेगा ताकि वह व्यक्ति के चहुंमुखी विकास में सहायक हो और व्यक्ति को इस योग्य बना सके कि अपना जीविकोपार्जन करते हुए वह राष्ट्र के एक जिम्मेदार और संवेदनशील सदस्य के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह कर सके;

प्रत्येक बालक-बालिका के लिए माध्यमिक श्रेणी तक की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा;

गरीब किन्तु प्रतिभाशाली बालक-बालिकाओं के लिए निःशुल्क उच्चतम शिक्षा का प्रबन्ध करेगा;

विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और उनके सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहने की व्यवस्था करेगा, प्रत्येक जिले में एक शिक्षा बोर्ड गठित किया जायेगा जिससे जिले के सभी स्कूल सम्बद्ध होंगे, बोर्ड में अध्यापकों, अभिभावकों और प्रबन्धकों और सरकार के प्रतिनिधि शामिल किए जायेंगे, यह बोर्ड जिले की अन्य शिक्षा संस्थाओं की देखभाल करेगा और उनके क्रियाकलापों में सामंजस्य स्थापित करेगा;

सरकारी और निजी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान के अन्तर को मिटायेगा और गैरसरकारी स्कूलों के अध्यापकों को सीधा राज्य सरकार की ओर से एक निश्चित तिथि पर वेतन दिये जाने की व्यवस्था करेगा;

प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन स्तर और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए विशेष प्रयत्न किए जायेंगे; एक आयोग नियुक्त किया जायगा जो प्राथमिक शिक्षकों की समस्याओं का बारीकी से और विशद् रूप से अध्ययन करेगा;

साक्षरता आन्दोलन को तेज किया जाएगा, शहरी इलाकों में एक वर्ष में और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन वर्ष में शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य पूरा किया जायगा; और

ऐसी व्यवस्था की जायगी कि शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान प्राप्त हो सके।

प्रशासन के क्षेत्र में

राज्य स्तर पर कानून बनाकर लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं की स्थापना करेगा (प्रशासन सुधार आयोग ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यह एक बहुमूल्य सिफारिश की थी जिसे क्रियान्वित करने में भारत सरकार विफल रही);

कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को सुधारने के लिए प्रभावशाली कदम उठायेगा, पुलिस प्रशासन को सुधारने के लिए ऐसे विशेष कदम उठायेगा जिससे कानून के रक्षक एक सशक्त संरक्षक बनें;

प्रशासन का काम-काज भारतीय भाषाओं में चलेगा;

केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों में—खासकर वित्तीय मामलों के क्षेत्र में—सामंजस्य कायम करेगा (चूंकि राज्यों के विकास-व्यय में दिन-दूनी रात-चौगुनी वृद्धि हो रही है और राज्यों के साधनों एवं दायित्वों के बीच असंतुलन बढ़ रहा है, अतः वे केन्द्र से मिलने वाले ऐच्छिक अनुदानों पर अधिकाधिक निर्भर होती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में वर्तमान वित्तीय साधनों की समीक्षा इस आधार पर की जानी चाहिए ताकि उन्हें ऐच्छिक आवंटन के बजाय कानूनी आवंटन से अधिक राशि उपलब्ध हो सके); और

केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्धों से सम्बद्ध सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए संविधान के २६३वें अनुच्छेद की व्यवस्था के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए विशेष प्रयत्न करेगा।

आवाहन्

भारतीय जनसंघ आशा और विश्वास के साथ चुनाव के मैदान में उतर रहा है। जनसंघ ही एकमात्र प्रतिपक्षी दल है जिसने गत वर्ष की राजनीतिक उथल-पुथल में न केवल अपनी शक्ति को अक्षुण्ण रखा है, अपितु उसमें वृद्धि करने में सफलता पाई है। जनता पार्टी का जनसंघ में विलय इस बात का संकेत है कि उन सभी दलों तथा व्यक्तियों के लिए जो राष्ट्रवाद, लोकतंत्र तथा समाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, जनसंघ एक संयुक्त मंच का काम दे

सकता है।

जनसंघ पूंजीवाद तथा साम्यवाद दोनों को अस्वीकृत करता है। जनसंघ एक ऐसे समतायुक्त समाज की रचना के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है, जिसमें जन्म, वंश, जाति अथवा मजहब के आधार पर न किसी के प्रति भेदभाव होगा और न पक्षपात किया जाएगा। ऐसा समाज आर्थिक शोषण तथा सामाजिक विषमता से मुक्त होगा। किन्तु ऐसे समाज की रचना के लिए जनसंघ केवल शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके ही अपनायेगा। जनसंघ साध्य के साथ साधनों की शुचिता का हामी है और सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए प्रयत्न करेगा।

भारतीय जनसंघ मतदाताओं का आवाहन करता है कि वे अपने मताधिकार का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करें। जनसंघ उन्हें आश्वासन देता है कि अपने ठोस तथा सुनिश्चित कार्यक्रम को वह ईमानदारी से पूरा करेगा और विधानसभाओं के भीतर तथा बाहर उस पर कुशलता से आगे बढ़ायेगा। जनसंघ के लिए चुनाव सत्ताप्राप्ति का साधन नहीं, सेवा करने के अवसर की प्राप्ति का प्रयास है। यदि मतदाता हमें सेवा करने का अवसर देंगे तो दिल्ली की ही भांति हम उन्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे।

॥ वन्दे मातरम् ॥